

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फकल खिड़की केवल आवासीय प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

दिनांक 09/09/2020

जी+1
आवासीय

जमीन कमांक 704 दिनांक 09/09/2020
 जमीन सुधीर शर्मा S/O श्री ओम प्रकाश शर्मा
 न राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No: 23/72 पोपमनी
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश शर्मा शर्मा
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8345/-
 जरिये रसीद संख्या 9069 / 4345, 4346
 दिनांक 09/09/2020 को जमा करा दी है ।

दिनांक 10/9/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Received



Sudhir Sharma
7014651469